निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 32/2022 (रसद अपील)

मैसर्स घासीराम मीणा, प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान डेहरा, ग्राम पंचायत जाटावाली, तहसील तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर।
2. प्रवर्तन निरीक्षक चौमू, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 31.05.2022 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स घासीराम उचिम मूल्य दुकान डेहरा ग्राम पंचायत जाटावाली तहसील चौमूं का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हुकम सिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 11.07.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 31.05.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स घासीराम उचित मूल्य दुकान डेहरा, ग्राम पंचायत जाटावाली, तहसील चौमूं का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त किये सरकार किये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा ग्राम पंचायत जाटावाली तहसील चौमू के उचित मूल्य दुकानदार डेहरा के श्री घासीराम मीणा द्वारा ब्लू डाई (नीले) केरोसीन के अवैध रूप से परिवहन व विक्रय बाबत एक शिकायत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां पर प्रस्तुत की गई। जिसमें अंकित किया गया कि श्री घासीराम मीणा उचित मूल्य दुकानदार डेहरा, ग्राम पंचायत जाटावाली, तहसील चौमूं को पुलिस थाना सामोद द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दर्ज

जिला कलक्टर
जयपुर

एफ.आई.आर. नम्बर 67/21.02.2016 के प्रसंग में जांच की गई। भौतिक सत्यापन करने पर 40 लीटर केरोसीन कम पाया गया। माह फरवरी 2016 का वितरण रजिस्टर रिक्त पाया गया। डीलर द्वारा माह जनवारी 2016 के केरोसीन के वितरण रजिस्टर न मौके पर और ना ही कार्यालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री घासीराम मीणा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 5, 7, 10 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जिस पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की रिपोर्ट को सही मानकर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर देने के आदेश के साथ ही दिनांक 09.03.2016 को निलम्बन आदेश जरिये पत्र क्रमांक 2016/1013 के माध्यम से प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेश तक के लिये निलम्बित कर दिया । तत्पश्चात दिनांक 31.05.2022 को अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान वितरण केन्द्र डेहरा ग्राम पंचायत जाटावाली, उपखण्ड चौमू को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी पाये जाने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के बिन्दु संख्या 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उसकी समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा उक्त कार्यवाही कार्यालय थानाधिकारी थाना सामोद द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रसंग में जांच प्रारम्भ किये जाने के पश्चात बिना किसी विधिक आधार के की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त आशय के आदेश दिनांक 31.05.2022 अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान के यहां पर वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन करने पर 40 लीटर नीला केरासीन कम पाये जाने एवं रजिस्टर मांगने पर अपीलार्थी डीलर द्वारा ना तो मौके पर और ना ही कार्यालय में रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने पर की जाना बताया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा ना तो अपीलार्थी के यहां वितरण के लिये प्राप्त केरासीन के सम्बन्ध में कोई नाप की गई और ना ही वितरण रजिस्टर के संबंध में कोई मांग की गई, बल्कि केवल मात्र पुलिस थाना सामोद के अधिकारियों की मौखिक बातो पर विश्वास कर उक्त आक्षेपित आदेश बिना किसी जांच एवं निरीक्षण के किया गया था। अपीलार्थी के यहां पर वितरण हेतु 700 लीटर केरोसीन वितरण हेतु प्रदान किया गया था, जिसमें से केवल मात्र 40 लीटर केरोसीन कम बताकर अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में कार्यवाही की गई थी। जबकि उक्त मात्रा की माप के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की रिपोर्ट को सत्य मानते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया गया था जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के वितरण रजिस्टर से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा माह फरवरी 2016 के रजिस्टर के मिस पैलेस हो जाने के कारण वितरण रजिस्टर में प्राप्त केरोसीन में से जो केरोसीन वितरित किया गया था, उसका अंकन रजिस्टर नही होनें के कारण उसमें नहीं किया जा सका। जिसके संबंध में भी अपीलार्थी के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को स्पष्ट रूप से अवगत करवा दिया था। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बगैर आक्षेपित आदेश पारित किया गया। पुलिस थाना सामोद के द्वारा अपनी रिपोर्ट में 800 लीटर केरोसीन भरा होना एवं जब्त करना बताया गया है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा जनवरी 2016 का वितरण रजिस्टर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दिखा दिया था। जिमसें समस्त विवरण अंकित था तथा उक्त रजिस्टर अनुसार

जिला कलक्टर
जयपुर

जनवरी 2016 का कोई स्टॉक बकाया नही था तथा फरवरी 2016 में अपीलार्थी को 700 लीटर केरोसीन वितरण हेतु उपलब्ध करावाया गया था। जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में 660 लीटर केरोसीन मौके पर मौजूद होना तथा केवल मात्र 40 लीटर केरोसीन कम होना अंकित किया था, जिसमें स्पष्ट है कि पुलिस थाना सामोद के द्वारा गलत रूप से की गई कार्यवाही को सही मानते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जबकि अपीलार्थी के पास कभी भी फरवरी 2016 में 800 लीटर केरोसीन नहीं रहा, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन करे बगैर आक्षेपित आदेश पारित कर भारी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा फर्द मौका में अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया कि अपीलार्थी के यहां पर तीन ड्रम जिनमें 240 प्रति ड्रम के हिसाब से 660 लीटर केरोसीन होना अंकित किया है। जिसें देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपीलार्थी के यहां पर मिले केरोसीन ड्रमों के संबंध में किसी प्रकार की नाप नहीं करवाई गई ओर ना ही इस संबंध में फर्द मौका में किसी प्रकार को कोई इस संबंध में अंकन किया। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा केवल अनुमान अनुसार प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर केरोसीन के हिसाब से तीनो ड्रमों का योग 660 लीटर केरोसीन अनुमान अनुसार अंकित किया गया है। जबकि भौतिक रूप से उक्त ड्रमों में भरे हुये केरोसीन की कोई नाप रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा नहीं करवाई गई। अपीलार्थी के यहां रखे ड्रमों में केरोसीन की मात्रा पूर्ण थी, क्योंकि उक्त तीनो ड्रमों में समान रूप से केरोसीन होने के तथ्य स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा फरवरी 2016 में केरोसीन का वितरण ही नहीं किया गया था इसी कारण अपीलार्थी के यहां रखे हुये केरोसीन ड्रमों में केरोसीन की मात्रा पूर्ण थी। अपीलार्थी के यहां वितरण रजिस्टर में इन्द्राज नहीं होने का आराप लगाकर भी उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जबकि फरवरी 2016 में अपीलार्थी के द्वारा केरोसीन का वितरण नहीं किया गया था। इसी कारण से अपीलार्थी के वितरण रजिस्टर में केरोसीन के संबंध में किसी प्रकार की एन्ट्री नहीं की गई थी। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के यहां से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 04.05.2016 को उपस्थित हुआ तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कार्मिकों द्वारा तत्समय ही जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर अपीलार्थी द्वारा हड़बड़ाहट एवं जल्दबाजी में जवाब प्रस्तुत किया गया था। जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विश्वास नहीं कर भारी भूल की गई। अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया था तथा उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक भी विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को दोष सिद्व नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2022 पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2022 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व जब्त धरोहर राशि बहाल करने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से विभागीय पैरोकार ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि थानाधिकारी पुलिस थाना सामोद जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि महार टोल नाके पर एक टैम्पू नम्बर आ जे 52 जी 0598 में आरोपी रामजीलाल जाट एवं हरिराम जाट के कब्जे से 04 ड्रम केरोसीन परिवहन करते

जिला कलक्टर
जयपुर

पाया गया है । उक्त केरोसीन के 4 ड्रम में कुल 800 लीटर केरोसीन भरा हुआ है, का आरोपीगणों द्वारा डेहरा ग्राम के राशन डीलर श्री घासीराम मीणा की उचित मूल्य दुकान के सामने से रात्रि 9.00 बजे के लगभग भर कर ले जाया जाना अनुसन्धान में पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब सारहीन व आधारहीन है। अपीलार्थी द्वारा अपने जबाब के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है जो डीलर की बातों की पुष्टि करता हो। डीलर द्वारा की गई अनियमितता गम्भीर किस्म की होने एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. थानाधिकारी पुलिस थाना सामोद द्वारा दिनांक 21.02.2016 को एफ आई आर संख्या 67/2016 में पकडे गये मुल्जिमान द्वारा दिनांक 21.02.2022 को अपीलार्थी डीलर की दुकान के सामने से रात्रि 9.00 केरोसीन लेकर जाते पकडा गया है । थानाधिकारी सामोद की तहरीर पर ही दिनांक 22.02.2016 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कराया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व दो नियमितताए पाई गई है प्रथम, वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन करने पर 40 लीटर केरोसीन कम पाये जाने एवं माह फरवरी 2016 का वितरण रजिस्टर रिक्त पाये जाने का आरोप है। अपीलार्थी ने मौके पर निरीक्षण दल द्वारा माप नहीं किया जाकर अन्दाजा से केरोसीन की मात्रा लिखना बताया है। रिसाव व छीजत से थोड़ा बहुत कम होना स्वीकार किया है। वितरण रजिस्टर खाली होने के कारण, वितरण रजिस्टर खो जाने से नया जारी किया जाना बताया है, किन्तु रजिस्टर खोने पर की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रादि प्रस्तुत नहीं किये गये । इससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि नहीं होती है। द्वितीय, डीलर द्वारा माह जनवरी 2016 के केरोसीन वितरण से संबंधित रजिस्टर मांगने पर डीलर द्वारा ना तो मौके पर और ना ही जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी ने इस आरोप के लिए वितरण रजिस्टर घर पर सुरक्षित रखे हुये थे, किन्तु रजिस्टर लाने के निर्देश नहीं होने का प्रत्युत्तर दिया गया है। यदि घर पर सुरक्षित थे तो जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के जबाब के साथ में प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे, किन्तु अपीलार्थी द्वारा ना तो मौके पर दिखाये गये ना ही आरोप के खण्डन के लिए जिला रसद अधिकारी कार्यालय में पेश किये गये। इससे अपीलार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर